


## कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, खूंटी।

### प्रथम प्रकाशित मेधा सूची में संशोधन के फलस्वरूप इण्टर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों की द्वितीय Counsiling से संबंधित आवश्यक सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रांची के पत्रांक 1192, दिनांक 02.06.2015 एवं प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 (यथा संशोधित) के प्रावधानानुसार खूंटी जिले के राजकीकृत मध्य/प्राथमिक विद्यालयों में इण्टर प्रशिक्षित (1 से 5) एवं स्नातक प्रशिक्षित (6 से 8) शिक्षकों की सीधी नियुक्ति हेतु प्रथम संशोधित **Provisional** मेधा सूची तैयार कर दिनांक 29.09.2015 को खूंटी जिले के वेबसाइट [www.khunti.nic.in](http://www.khunti.nic.in) पर अभ्यर्थियों के अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ **Upload** कर दिया गया है। प्रथम संशोधित मेधा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे वेबसाइट पर दिये गये **Provisional** मेधा सूची में यदि कोई श्रुति हो तो दिनांक 30.09.2015 तक कार्यालय कार्य अवधि में अपना आपत्ति हाथों-हाथ जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यालय डाक बंगला रोड खूंटी में जमा करा सकते हैं। निर्धारित समय के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में आपत्ति प्राप्त नहीं किया जाएगा। डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।

  
29/9/15  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
खूंटी।